भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3015

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3015 श्री हर्ष महाजन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना और चुनौती-आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) उप-योजना के तहत स्वीकृत किए गए गंतव्यों और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में इन परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार आवंटित और जारी की गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इन योजनाओं के तहत राज्य से कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में कोई देरी हुई है, तो उसके कारण क्या हैं और क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', और 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना आदि योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है और परियोजनाओं को योजना के दिशानिर्देशों एवं सरकारी निर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता आदि के अध्यधीन स्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत नई परियोजना की स्वीकृति देना एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय की किसी भी चल रही योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का कोई सक्रिय प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य में एसडी 2.0 और सीबीडीडी योजनाओं के अंतर्गत प्राधिकृत राशि सहित स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आयोजित समीक्षा बैठकों के माध्यम से अपनी चल रही परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करता है। पर्यटन मंत्रालय ने एक कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) भी तैयार किया है, जो मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के संबंध में निर्बाध सूचना संचार, साझाकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली को सुगम बनाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच है। पर्यटन मंत्रालय और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों सहित अन्य राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस प्रणाली का अभिन्न अंग हैं।

अनुबंध

श्री हर्ष महाजन द्वारा हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 13.08.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 3015 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**स्वीकृति वर्ष**	**गंतव्य**	**अनुभव का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**प्राधिकृत राशि**
1.	2025-26	चिंतपूर्णी	मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर, ऊना का विकास	56.26	5.63

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य में चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**स्वीकृति वर्ष**	**अनुभव का नाम**	**श्रेणी**	**स्वीकृत राशि**	**प्राधिकृत राशि**
1.	2024-25	काज़ा में पर्यटन अवसंरचना का विकास	काज़ा (संस्कृति एवं विरासत)	24.82	2.48
2.	2024-25	रक्छम - जीवंत ग्राम में पर्यटन अवसंरचना विकास	रक्छम (जीवंत ग्राम कार्यक्रम)	4.96	0.50
